UPMO010035782015

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियॉ (एच0जे0एस0)–यू0पी0–2411

विशेष सत्र परीक्षण संख्या –158/2015

अपराध संख्या 504/2011

धारा 135 विद्युत अधिनियम,

थाना कटघर , जिला मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी चूडी वाली गली, गुलाबबाडी, थाना कटघर, मुरादाबाद ।

29–07–2026

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त शरीफ पिछले काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्तमान विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्त शरीफ के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध जारी वारंट पर सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त शरीफ की मृत्यु दिनांक 12–12–2025 को हो चुकी है। थाना कटघर की आख्या प्रदर्श–2 के साथ में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें अभियुक्त शरीफ की मृत्यु दिनांक 12.12.2025 को हो चुकी है। मृत्यु आख्या के समर्थन में सी0डब्लू0–1 ओम पुण्डीर का साक्ष्य अंकित कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी चूडी वाली गली, गुलाबबाडी, थाना कटघर, मुरादाबाद की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसके विरूद्ध वाद कार्यवाही नियमानुसार उपशमित की जाती है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर अभियुक्त शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी चूडी वाली गली, गुलाबबाडी, थाना कटघर, मुरादाबाद बेगम एकमात्र अभियुक्ता है। अतः पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

(अंचल लवानियॉ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 4, मुरादाबाद।